न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम0के0 सिंह
सदस्य

निगरानी प्र0 क0 1190–दो/2004 विरूध्द आदेश दिनांक 31–08–04 पारित अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन प्रकरण कमांक 283/02–03 अपील.

भूरा पुत्र नाथू बलाई
निवासी सालिया, तह0 शुजालपुर,
जिला शाजापुर, म0प्र0 ––– आवेदक

विरूध्द

1– गीताबाई पुत्री गंगू पत्नी राजाराम बलाई
नि0 ग्राम हड़लाईकलां, तहसील शुजालपुर
जिला शाजापुर, म0प्र0
2– बतासबाई पुत्री गंगू पत्नी धर्मसिंह बलाई
नि0 ग्राम पवाड़िया, तह0 शुजालपुर
जिला शाजापुर, म0प्र0
3– धनकुंवरबाई पुत्री गंगू पत्नी माखनसिंह बलाई
नि0 ग्राम निशाना तह0 शुजालपुर
जिला शाजापुर, म0प्र0
4– इन्दरबाई पत्नी गंगू बलाई
नि0 ग्राम सालिया, तह0 शुजालपुर,
जिला शाजापुर, म0प्र0
5– मध्यप्रदेश शासन ––– अनावेदकगण

श्री एस0के0 अवस्थी, अभिभाषक – आवेदक
श्री ए0के0 अग्रवाल, अभिभाषक– अनावेदक क0–1 से 4
श्री डी0के0 शुक्ला, पैनल अभिभाषक– अनावेदक क0–5

आदेश

(आज दिनांक 10 फरवरी, 2015 को पारित)

यह निगरानी का आवेदनपत्र मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग,

उज्जैन के अपील प्रकरण क्रमांक 283/02–03 में पारित आदेश दिनांक 31–08–04 से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत किया गया है।

2/ प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि आवेदक भूरा पिता नाथू बलाई ने अभिलिखित भूमिस्वामी मृत गंगू व्दारा अपने हिस्से की भूमि का वसीयतनामा उसके पक्ष में निष्पादित किये जाने से नामान्तरण हेतु आवेदनपत्र तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया । अनावेदक क्र0–1 से 4 ने वसीयतनामा फर्जी होने संबंधी आपत्ति प्रस्तुत की तथा वारिसान नामान्तरण करने हेतु आवेदनपत्र प्रस्तुत किया । विचारण तहसील न्यायालय ने प्रकरण के परीक्षण एवं उभय पक्ष को सुनवायी का समुचित अवसर दिये जाने के बाद अपने आदेश दिनांक 08–02–2002 व्दारा प्रश्नाधीन भूमि पर वसीयतनामा के आधार पर आवेदक का नामान्तरण करने के आदेश दिये । इस आदेश के विरूध्द अनावेदकों व्दारा प्रस्तुत अपील अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 07–01–03 व्दारा खारिज की । अनावेदक गीताबाई आदि व्दारा व्दितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत करने पर अपर आयुक्त ने अपने आदेश दिनांक 31–08–04 व्दारा अपील इस आधार पर स्वीकार की है कि वादग्रस्त भूमि पैत्रिक सम्पत्ति थी अथवा नहीं, इस संबंध में कोई साक्ष्य अभिलिखित नहीं की गयी है । अतः उन्होंने दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त कर प्रकरण तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया है। आवेदक व्दारा इस आदेश के विरूध्द यह निगरानी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की है।

3/ मैने अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेखों का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष के विव्दान अभिभाषकों के तर्कों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया। आवेदक के अभिभाषक का तर्क है कि अनावेदकगण व्दारा वसीयतनामा फर्जी होने के संबंध में आपत्ति विचारण तहसील न्यायालय में एवं प्रथम अपीलीय न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गयी । विचारण न्यायालय में वसीयतनामा को उसके साक्षियों के बयान से पूर्णरूपेण असंदिग्ध प्रमाणित किया गया है । तहसील न्यायालय ने वसीयत साक्ष्य से प्रमाणित होने के आधार पर वसीयतनामा के आधार पर नामान्तरण के आदेश दिये हैं जिसे प्रथम अपीलीय न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी व्दारा भी स्थिर रखा

गया है और वसीयत को साक्ष्य से प्रमाणित माना है। प्रश्नाधीन भूमि पैत्रिक सम्पत्ति है या नहीं, इस संबंध में अनावेदकों व्दारा आपत्ति ना तो विचारण तहसील में प्रस्तुत की गयी और ना ही प्रथम अपीलीय न्यायालय में प्रस्तुत की गयी। ऐसी दशा में व्दितीय अपील में अपर आयुक्त व्दारा इस आधार पर अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती आदेश निरस्त कर प्रकरण प्रत्यावर्तित करने में त्रुटि की गयी है। उनका तर्क है कि जो आपत्ति विचारण न्यायालय एवं प्रथम अपीलीय न्यायालय में नहीं उठायी गयी, वह व्दितीय अपील में नहीं उठायी जा सकती। इस संबंध में उन्होंने मेरा ध्यान 1965 राजस्व निर्णय 41 तथा 1969 राजस्व निर्णय 481 की ओर आकर्षित कर निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया। आवेदक अभिभाषक व्दारा पंजीयत विक्रयपत्र दिनांक 17–04–73 की फोटो प्रति प्रस्तुत करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि गंगू तथा भूरा व्दारा संयुक्त रूप से प्रश्नाधीन भूमि नजीर खॉ से खरीदी है।

4/ अनावेदक क्र0–1 से 4 के अभिभाषक का तर्क है कि अनावेदकगण मृत गंगू की विधवा पत्नी एवं पुत्रियॉ हैं। उनका तर्क है कि विचारण तहसील न्यायालय एवं प्रथम अपीलीय न्यायालय में प्रश्नाधीन भूमि स्वअर्जित भूमि है या पैत्रिक सम्पत्ति है, इस संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी, इसलिये विव्दान अपर आयुक्त व्दारा प्रकरण प्रत्यावर्तित करने में कोई त्रुटि नहीं की गयी है। उनका यह भी तर्क है कि जो दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालयों में प्रस्तुत नहीं किये गये, वे प्रथम बार निगरानी में प्रस्तुत नहीं किये जा सकते। अतः उन्होंने निगरानी खारिज करने का अनुरोध किया।

5/ प्रकरण के अभिलेख से स्पष्ट है कि विचारण तहसील न्यायालय में अनावेदकों व्दारा वसीयतनामा फर्जी होने तथा ग्राम पंचायत व्दारा उनके पक्ष में नामान्तरण किये जाने संबंधी आपत्ति प्रस्तुत की गयी थी। विचारण न्यायालय ने आपत्ति पर उभय पक्ष को सुनवायी का अवसर देने के पश्चात वसीयतनामा वसीयत के साक्षियों की साक्ष्य से असंदिग्ध प्रमाणित होने से वसीयत के आधार पर नामान्तरण के आदेश दिये। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने वसीयतनामा साक्ष्य से प्रमाणित होने के आधार पर अपील खारिज की है। इससे स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय एवं प्रथम अपीलीय न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तथ्य के संबंध में समवर्ती निष्कर्ष निकाले गये। व्दितीय

अपील में तथ्य के संबंध में तभी हस्तक्षेप किया जा सकता है जब तथ्यात्मक निष्कर्ष साक्ष्य पर आधारित ना होकर दूषित हों। व्दितीय अपीलीय न्यायालय अपर आयुक्त ने अपने आदेश में अधीनस्थ न्यायालयों के तथ्यात्मक निष्कर्ष दूषित होने संबंधी कोई निष्कर्ष निकाला है, बल्कि प्रश्नाधीन भूमि पैत्रिक सम्पत्ति थी या नहीं, इस संबंध में कोई साक्ष्य अभिलिखित नहीं करने से अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती आदेश निरस्त किये गये हैं। विचारण एवं प्रथम अपीलीय न्यायालय में जो आपत्ति अनावेदकगण व्दारा प्रस्तुत ही नहीं की गयी, उसके संबंध में साक्ष्य नहीं लेने के आधार पर व्दितीय अपील स्वीकार करना विधि सम्मत प्रतीत नहीं होता। वैसे भी आवेदक व्दारा इस न्यायालय में पंजीयत विक्रयपत्र दिनांक 17–04–1973 की फोटो प्रति प्रस्तुत की गयी है जिससे प्रश्नाधीन भूमि वसीयतकर्त्ता गंगू एवं भूरा व्दारा संयुक्त रूप से खरीदी गयी है। ऐसी दशा में सिर्फ भूमि संयुक्त खाते में दर्ज होने से उसे पैत्रिक भूमि होना नहीं माना जा सकता।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाता है। अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 31–08–04 निरस्त किया जाता है। परिणाम स्वरूप अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 07–01–03 एवं तहसीलदार का आदेश दिनांक 08–02–02 यथावत रखे जाते हैं।

(एम0के0सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,म0प्र0
ग्वालियर,